

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 20

क्रमांक:-भू.अ./20 /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बालीबई पति नन्दा पिता..... नि.....
दुबडिया प.ह. दुबडिया के राजस्व ग्राम रोज में जमाबन्दी संवत 2078-8
की खाता संख्या 205 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम बालीबई पति नन्दा किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम बालीबई पति नन्दा को अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:-17/10/2025

क्रमांक:-रीडर/204/836

निमित्त,

पटवार हल्का दुबडिया

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री बालीबई पति नन्दा पिता..... नि.....
राजस्व ग्राम रोज प.ह. दुबडिया की खाता संख्या 205 में
जाति/नाम बालीबई पति नन्दा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।
अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बालीबई पति नन्दा पिता..... नि..... की
जाति/नाम बालीबई पति नन्दा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. दुबडिया राजस्व रिकार्ड में

उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ